न्यायालय अपील अधिकारी (जिला कलक्टर) सीकर

पीठासीन अधिकारी, यज्ञ मित्र सिंहदेव आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 35/2019/प्रथम अपील

सुनिल सोनी ग्राम मीरण, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर राज. 332312।

अपीलान्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर।

रेस्पोडेन्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रथम अपील

निर्णय

दिनांकः 22 अक्टूबर, 2019

1. यह अपील अपीलार्थी **सुनिल सोनी** द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार चाही गयी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर पेश की गई है।

2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी से अपील के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

3. आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक **05.08.2019** द्वारा शिकायत पत्र क्रमांक 2018–19/BVSKS/30 दिनांक 10.07.2019 से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचनाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाए :–

(1) उक्त शिकासत पत्र पर की गई प्रतिदिन की कार्यवाही अर्थात दैनिक प्रगति रिपोर्ट की समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं।

(2) उक्त शिकायत जिन–जिन अधिकारियों के पास गया तथा जिस अधिकारी के पास जितने दिनों तक रहा और इस दौरान उन अधिकारी ने उस पर जो कार्यवाही की उसका पूरा विवरण उपलब्ध करवाएं।

(3) विभाग के नियम के अनुसार उक्त शिकायत पर अधिकतम जितने दिनों में कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए थी, उक्त मामले में उपरोक्त समय सीमा पालन किया गया है या नहीं।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

(4) उक्त शिकायत को जिस आवक जावक रजिस्टर में इन्द्राज किया गया उस रजिस्टर के पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं।

(5) उक्त शिकायत परअगर कोई नोटशीट चलाई गई हो तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं।

(6) उक्त शिकायत की बनाई गई फाईल कवर वाले के उपर व नीचे की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं।

(7) उक्त शिकायत पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं।

(8) कृपया दन अधिकारियों के नाम तथा पद बताएं जिन्हें उक्त शिकायत पर कार्यवाही करनी थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की।

(9) उक्त शिकायत की कार्यवाही के सम्बन्ध में आप द्वारा कोई भी पत्राचार जिस किसी व्यक्ति या अधिकारी से किया गया हो तो पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ण करवाएं।

(10) उक्त शिकायत पर जिस नियम के तहत कार्यवाही नहीं की गई उस नियम/आदेश के पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं।

(11) अपना काम ठीक से न करने और जनता को परेशान करने वाले इन अधिकारियों के खिलाफ जो कार्यवाही की जाएगी, यह कार्यवाही कब तक की जाएगी।

साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अधिकारी का नाम व पता तथा आपके विभाग में वर्तमान लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता तथा सूचना को संधारित करने वाले वर्तमान क्लर्क का नाम व पता बताइये।

4. सुनवाई के लिए नियत तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित।

5. रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पत्र दिनांक **09.10.2019** से अवगत करवाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन इस कार्यालय की आर.टी.आई. शाखा में दिनांक 13.08.2019 को पंजीबद्व हुआ। आवेदन के क्रम में चाही गई सूचना अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ से सम्बन्धित होने पर कार्यालय के पत्र दिनांक 13.08.2019 द्वारा मूल प्रकरण अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अंतरित किया गया। अतः अपीलोत्तर रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील खारिज करने का श्रम फरमावें।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

6. हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में पैरा 3 के अनुसार सूचना चाही गयी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई सूचना अपने पत्र दिनांक 13.08.2019 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः लोक सूचना अधिकारी का प्रत्युतर समुचित है।

7. उक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारों को प्रेषित हो।

8. उक्त आदेश के विरुद्व, द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग झालाना लिंक रोड,ओ.टी.एस. चौराहा जे.एल.एन.मार्ग जयपुर में 90 दिवस में की जा सकती है।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
अपील अधिकारी,
जिला कलक्टर, सीकर

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner